

संस्कृति मंत्रालय

परिणाम बजट - 2012-13

कार्यकारी सारांश

परिणाम बजट 2012-13 के दस्तावेज में 6 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत विषय-वस्तु का सार नीचे दिया गया है :-

अध्याय - I

अध्याय-I में संस्कृति मंत्रालय की संगठनात्मक व्यवस्था सहित अधिदेश, लक्ष्यों तथा नीतिगत ढाँचे और 24 चल रही प्रमुख योजनाओं और नई योजना स्कीमों और अन्य सम्बद्ध कार्यक्रमों/कार्यकलापों का उल्लेख किया गया है। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दो सम्बद्ध कार्यालय, 6 अधीनस्थ कार्यालय तथा 33 स्वायत्त संगठन हैं। मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय अर्थात् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंत्रालय के बजटीय आबंटन का प्रमुख भाग इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार, मंत्रालय के अधीन 33 स्वायत्त संगठन मंत्रालय के बजटीय व्यय का काफी अंश व्यय करते हैं। अतः मंत्रालय का बजट मुख्य रूप से संस्था/संगठन-उन्मुख है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देकर संस्कृति के परिरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु अपने योजनागत बजट के तहत सहायता अनुदान की नियमित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय मिशन प्रणाली के अधीन राष्ट्रीय स्मारक और पुरावस्तु मिशन तथा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन नामक दो स्कीमों में भी कार्यान्वित कर रहा है। इसी प्रकार, मंत्रालय के योजनागत और गैर-योजना बजट के तहत कुछ स्कीमों हैं, जिनमें शताब्दियाँ एवं वर्षगाँठ, राष्ट्रीय स्मारकों का विकास एवं अनुरक्षण, विभिन्न देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, विदेशों में भारत के महोत्सव अन्तर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान आदि शामिल हैं।

अध्याय - II

इस अध्याय में बजट प्राक्कलनों के विवरण के “लम्बरूप संक्षेपणों एवं समानांतर परिवर्धनों” के फार्मेट में तालिकाएं दी गई हैं। इस अध्याय में 2012-13 के वित्तीय प्रावधान तथा परिणाम बजट 2012-13 (जहाँ कहीं व्यवहार्य हो, परिमाणीय सुपुर्दगी योग्य साधनों सहित 2012-13 के दौरान शुरू किए जाने वाले कार्यक्रम) का तुलनात्मक विवरण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि संस्कृति के संवर्धन एवं प्रसार के अनेक कार्यक्रमों/स्कीमों के तहत वास्तविक निष्पादन की मात्रा निर्धारित करना

व्यवहार्य नहीं पाया गया है क्योंकि ये स्कीमें, सामान्यतः सौंदर्यपरक विषय-वस्तु का संवर्धन करने, कला और संस्कृति के क्षेत्र में गुणात्मक दृष्टि से सुधार करने के लिए हैं। तथापि, जहां कहीं संभव है, परिणामों की मात्रा निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं।

अध्याय - III

अध्याय-III में संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ की गई नीतिगत पहलों तथा सुधारात्मक उपायों की व्यापक रूपरेखा दी गई है। मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए उपायों से उत्पन्न गुणात्मक तथा मात्रात्मक दृष्टि से अंतिम परिणाम में सुधार का उल्लेख किया गया है। इस अध्याय में सार्वजनिक-निजी भागीदारी, सामाजिक तथा लिंग उत्थान प्रक्रियाओं के कार्यकलापों और अधिकाधिक पारदर्शिता लाने जैसे क्षेत्रों में मंत्रालय के प्रयास की रूपरेखा भी दी गई है। वित्तीय प्रावधान के संबंध में वास्तविक निष्पादन के संदर्भ में परिणाम प्राप्त करने में मंत्रालय को पेश आ रही बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है।

अध्याय - IV

अध्याय-IV में विगत निष्पादन अर्थात् मंत्रालय के 2010-11 तथा 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान की समीक्षा का ब्यौरा दिया गया है। इस अध्याय में स्कीमवार वास्तविक निष्पादन का विश्लेषण, जहां संभव हो, दिया गया है। विभिन्न संगठनों तथा स्कीमों के निष्पादन का मूल्यांकन भी किया गया है। वित्त वर्ष के प्रारंभ में 2010-11 और 2011-12 (दिसम्बर, 2011) के दौरान विभिन्न संस्थानों द्वारा तथा विभिन्न स्कीमों के तहत निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को योजनागत और योजनेत्तर शीर्षों के तहत उनके बजटीय प्रावधाननों के अनुपात में प्राप्त किया जा सका। तथापि, यह कहा जा सकता है कि बजटीय निधियों में कमी के कारण कुछेक संस्थानों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को संशोधित करना पड़ा। वर्ष 2011-12 के दौरान मंत्रालय के अधीन संगठनों के निष्पादन का मूल्यांकन करने पर यह पाया गया है कि ये संगठन निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने की सही दिशा की ओर अग्रसर हैं।

अध्याय - V

अध्याय-V में वित्तीय समीक्षा दी गई है जिसमें गत तीन वर्षों के बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान के तहत वित्तीय प्रावधानों की तुलना में व्यय के समग्र रुझानों का ब्यौरा दिया गया है। इन विवरणों में व्यय/बजट प्रावधान से संबंधित क्षेत्रवार तथा स्कीमवार आंकड़े शामिल किए गए हैं।

अध्याय - VI

अध्याय-VI में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक तथा प्रमुख स्वायत्त निकायों के गत दो वर्षों 2010-11 और 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के किए गए निष्पादन की समीक्षा का विवरण दिया गया है। मंत्रालय समय-समय पर इन संगठनों के निष्पादन का मूल्यांकन करता रहा है।

स्पष्टीकरण संबंधी टिप्पणी : उल्लेखनीय है कि व्यय की प्रगति की निगरानी करने के लिए मंत्रालय का एक निगरानी-तंत्र है। यह निगरानी एक उच्च स्तरीय दल, जिसमें अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार (संस्कृति) और सचिव (संस्कृति) शामिल हैं, द्वारा मासिक तथा तिमाही अन्तरालों पर की जाती है। इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि व्यय की प्रगति की निगरानी पूरे वर्ष की जाए।

मंत्रालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया जा रहा है। मंत्रालय के 10 वरिष्ठ अधिकारियों (10 प्रभागाध्यक्षों) को अपने-अपने प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। 18 अवर सचिवों/उप निदेशकों को भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ)के रूप में पदनामित किया गया है।